(7)

आदेश

प्रस्तुत वाद मौजा–डोमचाँच, थाना नं0–68, खाता नं0–931, प्लॉट नं0–4892, रकवा–0.62 एकड़ मद्ये 0.31 एकड़ भूमि को लेकर अंचल अधिकारी, डोमचाँच के दाखिल–खारिज वाद संख्या–98(ix)/2003-04 दिनांक–03.06.2003 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात इस अपीलवाद को अंगीकृत किया गया।

उभय पक्षों को विधिवत नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं जवाब का मांग किया गया। विपक्षी संख्या–02, किरण देवी, पिता–डॉ0 दुर्गा प्रसाद को निबंधित डाक संख्या–RJ1505868951V दिनांक–20.01.2017 के द्वारा नोटिस भेजा गया, परन्तु विपक्षी संख्या–02 स्वयं या उनके ओर से कोई पैरवी कार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जवाब तैयार नहीं है। इन्हें दिनांक–14.02.2017, 02.03.2017, 23.03.2017, 13.04.2017, 04.05.2017, 16.05.2017 एवं दिनांक–23.05.2017 को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया तथा दिनांक–24.05.2017 अन्तिम मौका दिया गया था, परन्तु विपक्षी संख्या–01 की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर कहा कि मेरा आवेदन हीं बहस मान लिया जाय। तत्पश्चात एक पक्षीय सुनवाई की गई।

अपीलार्थी का कहना है कि बक्सी स्वरूप नारायण लाल दोनों पक्षों के पूर्वज थे। बक्सी स्वरूप नारायण लाल अपने पीछे तीन पुत्रों 1. बक्शी भागवत सहाय, 2. बक्शी विश्वनाथ सहाय, 3. बक्शी अम्बिका प्रसाद को छोड़कर मरे। प्रश्नगत भूमि के विक्रेता हरिनाथ बक्शी, पिता–मुरली मनोहर प्रसाद बक्शी एवं भागवत सहाय के वंशज है तथा अपीलार्थी बक्शी विश्वनाथ सहाय के वंशज है। खाता संख्या–931, प्लॉट संख्या–4892, रकवा–0.62 एकड़ अन्दर मौजा–डोमचाँच, थाना नं0–68, थाना–कोडरमा हाल थाना–डोमचाँच, जिला–हजारीबाग, हाल जिला–कोडरमा बक्शी साधुचरण प्रसाद जो अपीलार्थी के पिता एवं दादा हैं उनके हिस्से में है। दिनांक–25.06.1971 के हुए पारिवारिक बंटवारा द्वारा उन्हें उक्त भूमि हासिल हुआ है और उनके बाद से वे लगातार उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जें में चले आ रहे हैं। किन्तु उत्तरवादी संख्या–01, हरिनाथ बक्शी पिता–स्व0 बक्शी मुरली मनोहर प्रसाद ने अवैध तरीके से उक्त प्रश्नगत भूमि खाता नं0–931, प्लॉट संख्या–4892, रकवा–0.31 डी0 उत्तरवादी संख्या–02 श्रीमती किरण देवी, पुत्री डॉ0 दुर्गा प्रसाद, ग्राम–डोमचॉच, जयनगर रोड, पो0–डोमचॉच बाजार, थाना–डोमचॉच, जिला–कोडरमा को बगैर किसी मालिकाना हक का निबंधित विक्रय पत्र संख्या–1675/03, दिनांक–10.04.2003 द्वारा नाजायज ढंग से बिक्री कर दिया। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, कोडरमा वर्तमान डोमचॉच ने आवश्यक कानूनी खानापूर्ति किये बगैर गैर कानूनी ढंग से उत्तरवादी संख्या–02 के पक्ष में दाखिल खारिज का आवेदन स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि जमाबन्दी पंजी के भोलूम 09 के पृष्ठ संख्या–64 पर बक्शी साधुचरण प्रसाद के नाम से जमाबंदी कायम है, किन्तु जमाबन्दी के इस पृष्ठ पर उत्तरवादी संख्या–02 के पक्ष में दाखिल खारिज स्वीकृत करने के बाद भी अपीलार्थी की जमाबन्दी में रकवा ज्यों का त्यों आज तक बना हुआ है और अपीलार्थी का आज भी मालगुजारी रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। इस प्रकार गलत तरीके से इसका दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

C.C.120
216
19.7.17

3/15

(3)

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उत्तरवादी संख्या–01 द्वारा प्रश्नगत प्लॉट नं0–4892 से संबंधित भूमि अजित कुमार सिंह और राजेश्वर पाण्डेय में निबंधित केवाला कर दिया गया था। जानकारी होने के बाद अपीलार्थी द्वारा खारिज अपील वाद दायर किया गया जिसका अपील संख्या–06/2006–07 07/2006–07 था। उक्त वाद के सुनवाई के दौरान उत्तरवादी संख्या–01, हरिनाथ बक्शी ने लेख्य प्रमाणक, कोडरमा के समक्ष दिनांक–14.09.2006 को शपथ पत्र उपस्थापित करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक–25.06.1971 के हुए पारिवारिक बंटवारा में प्रश्नगत भूमि खाता नं0–931, प्लॉट संख्या–4892, रकवा–0.62 एकड़ भूमि साधुचरण प्रसाद जो अपीलार्थी के पिता एवं दादा है, उनके हिस्से में है। जिसके आधार पर दिनांक–09.10.2009 को दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–06/2006 एवं 07/2006 में अपीलार्थी के पक्ष में फैसला दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है:–

01. खाता नं0–931, खतियान की छायाप्रति
02. न्यायालय मुंसफ हजारीबाग द्वारा रेभेन्यू सूट नं0–2647/67, दिनांक–13.02.70 को पारित आदेश की छायाप्रति।
03. परिवारिक बंटवारा दिनांक–25.06.1971 की छायाप्रति
04. निबंधित केवाला संख्या–1675/03, दिनांक–10.04.2003 की छायाप्रति
05. अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक–03.06.2003 को दाखिल खारिज में पारित आदेश की छायाप्रति
06. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दिनांक–09.10.2009 को पारित आदेश की छायाप्रति।
07. वंशावली की छायाप्रति
08. दिनांक–14.09.2006 को हरिनाथ बक्शी द्वारा किया गया शपथ पत्र की छायाप्रति
09. अंचल अधिकारी, कोडरमा के जाँच प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छायाप्रति
10. माल गुजारी रसीद की छायाप्रति

विपक्षी के ओर से अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं कागजातों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि आपसी बंटवारा, खतियान एवं जमाबन्दी के अनुसार अपीलार्थी के हिस्से की है, जिसे विक्रेता हरिनाथ बक्शी को बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं था और ना हीं उक्त भूमि पर विक्रेता अथवा क्रेता का दखल कब्जा है। बल्कि उक्त भूमि अपीलार्थी के दखल कब्जे में है।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा हाल डोमचाँच द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–98(ix)/2003-04 में दिनांक–03.06.2003 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए इस अपीलवाद को स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, डोमचाँच को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

3/5/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा

3/5/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

ज्ञापांक– 504/2017 दिनांक 09-5-17 ई० द्वारा अंचल अधिकारी, डोमचाँच को भेजा गया।